


माह 11/2018

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

सूचना प्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदनों के सम्बन्ध में मासिक सूचना का प्रारूप

क्र०सं०	विभाग का नाम	सूचना अधिकारी का नाम एवं पदनाम	माह के लम्बित	प्रारम्भ में आवेदन	जान	माह में प्राप्त आवेदन	कुल विचाराधीन आवेदन	माह में निस्तारण	अवशेष		योग
			30 दिन के अन्दर	30 दिन के ऊपर					30 दिन के अन्दर	30 दिन के ऊपर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	सिंचाई विभाग	श्री लोटू राम अधीक्षण अभियन्ता प्र०सू०प्र० सि०वि०, उ०प्र०, लखनऊ	-	-	-	05	24	24	00	00	00

  
 05-12-18  
 अधीक्षण अभियन्ता एवं  
 जनसूचना अधिकारी, सि०वि०  
 5/12/18

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

सूचना प्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदनों के सम्बन्ध में मासिक सूचना का प्रारूप

क्र०स०	विभाग का नाम	अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पदनाम	माह के लम्बित अपीलयी पत्रों की सं०		योग	माह में प्राप्त अपीलयी पत्र	कुल विचाराधीन अपीलय पत्र	माह में निस्तारित अपीलय पत्र	अवशेष		योग
			30 दिन के अन्दर	30 दिन के ऊपर					30 दिन के अन्दर	30 दिन के ऊपर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	सिंचाई विभाग	श्री डी०के० मिश्रा मुख्य अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन सि०वि० उ०प्र० लखनऊ	03	02	05	03	08	वर्तमान के पूर्व के अवशेष-03 योग- 05	01	02	03

अधीक्षण अभियन्ता एवं  
जनसूचना अधिकारी, सि०वि०  
05-12-18  
5/12/18

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग द्वारा लोक प्राधिकरणों में वांछित सूचना अधिकांशों पर आवेदन। अधिसूचना संख्या (2022) का क्रमांक 1।  
 जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिवाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ

क्र. सं.	विभाग का नाम	जनसूचना अधिकारी का विवरण जिसके विरुद्ध दण्ड पारित किया गया	दण्ड पारित करने का दिनांक	दण्ड के विवरण क्रमांक/रकम	पारित दण्ड के विरुद्ध विभाग द्वारा मसुदा की गई धनशुल्की अद्यतन स्थिति	विभाग द्वारा जन सूचना अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति (यदि कोई हो)	पारित दण्ड के बारे में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	धृष्टि
1	सिवाई विभाग	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त) मुख्य अभियन्ता (सोन)	नाद-सख्या-परा II/884/ सो/ दिनांक 28.06.19	25000.00				इस कार्यालय के 90-709/दि0 1-6-14, पत्रांक-1587/ दिनांक 12-10-12 एवं पत्रांक 1120/ / 90900300/दिनांक 7.6.13 के माध्यम से कठित कार्यवाही हेतु मुख्य अभियन्ता (सोन)को पत्र लिखा गया है एवं श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रपत्र पत्रांक श्री-18/ एकेएसआरडी/ दिनांक 15.5.2013 एवं पत्रांक ति-1564/ सोन/ दिनांक 13.6.13 के माध्यम से कठित अधिसूचित अध्यादेश माफ किये जाते हेतु संत राज्य सूचना आयोग में अनुरोध किया गया है। इस कार्यालय के पत्रांक-1918/ प्रसुप/ दिनांक 01.07.2013 एवं पत्रांक 1066/ प्रसुप/ शांति/ दिनांक 07.08.2013, पत्रांक 285/ प्रसुप/ दिनांक 5.3.2014, पत्रांक-1350/ प्रसुप/ दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक 202/ प्रसुप/ दिनांक 11.1.15 के माध्यम से अनुसूची/आदेश स्थिति हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।
2	सिवाई विभाग	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त) मुख्य अभियन्ता (सोन)	नाद-सख्या-परा II/884/ सो/ दिनांक 28.06.19	25000.00				इस कार्यालय के 90-709/दि0 1-6-14, पत्रांक-1587/ दिनांक 12-10-12 एवं पत्रांक 1120/ / 90900300/दिनांक 7.6.13 के माध्यम से कठित कार्यवाही हेतु मुख्य अभियन्ता (सोन)को पत्र लिखा गया है एवं श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रपत्र पत्रांक श्री-18/ एकेएसआरडी/ दिनांक 15.5.2013 एवं पत्रांक ति-1564/ सोन/ दिनांक 13.6.13 के माध्यम से कठित अधिसूचित अध्यादेश माफ किये जाते हेतु संत राज्य सूचना आयोग में अनुरोध किया गया है। इस कार्यालय के पत्रांक-1918/ प्रसुप/ दिनांक 01.07.2013 एवं पत्रांक 1066/ प्रसुप/ शांति/ दिनांक 07.08.2013, पत्रांक 285/ प्रसुप/ दिनांक 5.3.2014, पत्रांक-1350/ प्रसुप/ दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक 202/ प्रसुप/ दिनांक 11.1.15 के माध्यम से अनुसूची/आदेश स्थिति हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

3	तदेव	अधियासी अभियन्ता फलोडपुर खंड निचली गंगा नहर फलोडपुर	श.द. संख्या ए.स. 7-2708 दिनांक 10/08/11	28000.00		<p>2010/11/25/27 प्रस्ताव दिनांक 11/3/11 पत्रक 111/प्रसुप्र/दिनांक 16.5.2014 दिनांक 11/09/प्रसुप्र दिनांक 20/10/14 एवं पत्रक 241/प्रसुप्र/दिनांक 12.3.15 के माध्यम से बांझित कार्यवाही हेतु निर्दिष्ट किया गया है।</p> <p>इस कार्यवाही के पत्रक-593/प्रसुप्र/दि. 28.2 12 पत्रक 1597/ प्रसुप्र/ दिनांक 12.10 12 पत्रक 352/ दि. 15.2.13 पत्रक 440/ प्रसुप्र/दिनांक 27.2.13 पत्रक 709 / प्रसुप्र/ दिनांक 3.4.13, पत्रक 1117/प्रसुप्र/दिनांक 10. 6.13 पत्रक 3319/प्रसुप्र/दिनांक 01.07. 2011 पत्रक 1566/प्रसुप्र/दिनांक 07.08. 2013 पत्रक 1784/ प्रसुप्र/दिनांक 18 सितम्बर, 2013 पत्रक 308/ प्रसुप्र/दिनांक 6.3. 2014, पत्रक-1352/प्रसुप्र/दिनांक 20.10.14 एवं पत्रक 235/प्रसुप्र/दिनांक 11.3.15 के माध्यम से बांझित कार्यवाही हेतु निर्दिष्ट किया गया है।</p>
4	तदेव	अधियासी अभियन्ता फलोडपुर खंड निचली गंगा नहर फलोडपुर	श.द. संख्या- ए.स. 7-852/ /सी/09 दिनांक 03.10.12	28000.00		<p>इस कार्यवाही के पत्रक-593/प्रसुप्र/दि. 28.2 12 पत्रक 1597/ प्रसुप्र/ दिनांक 12.10 12 पत्रक 352/दि. 15.2.13, पत्रक 440/ प्रसुप्र/दिनांक 27.2.13 एवं पत्रक 709 /प्रसुप्र/ दिनांक 3.4.13, पत्रक 1117/ प्रसुप्र/दिनांक 10.6.13, पत्रक 3319/ प्रसुप्र/दिनांक 01.07.2013, पत्रक 1566/प्रसुप्र/दिनांक 07.08.2013 पत्रक 308/प्रसुप्र/दिनांक 6.3.2014, पत्रक 1352/प्रसुप्र/दिनांक 20.10.14 एवं पत्रक 235/प्रसुप्र/दिनांक 11.3.15 के माध्यम से बांझित कार्यवाही हेतु निर्दिष्ट किया गया है।</p>
5	तदेव	अधियासी अभियन्ता शिवगढ़ खण्ड नर पानदीप खण्डापुर	श.द. संख्या ए.स. 7-711 /सी/10 दिनांक 19/08/12	28000.00		<p>अधियासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्रक 107/प्रसुप्र/दिनांक 11.1.13 के अनुषंग में अर्थात् अर्थात् तथा है कि नहर दण्ड की बांझी हेतु दिनांक 11.1.12 के माध्यम से यह अर्थात् से अर्थात् से अर्थात् से अर्थात् से अभियन्ता के पत्रक 828/प्रसुप्र/दिनांक 27.4 11 पत्रक 1128/ प्रसुप्र/दिनांक दिनांक 2.8.11 तथा 1117/प्रसुप्र/दिनांक 10/2013 11.06.2010/प्रसुप्र/दिनांक 07/2013 के</p>



8	तदीय श्री श्रीधर सिंह अधिकारी अभियन्ता सिवाई कण्ठ द्वितीय कुशीनगर	वकी संख्या- एर 8-2017 /सी/11 दिनांक 02.02.12	25000.00	माठ उच्च न्यायालय इलाहाबाद आदेश दिनांक 29.4 13 द्वारा इच्छ स्वीकार	1000/प्रसुप/दिनांक 18.10.2011 885/प्रसुप/दिनांक 6.3.2014 पत्रांक 1360/प्रसुप/दिनांक 20.10.14 एव पत्रांक 233/प्रसुप/दिनांक 11.3.15 के माध्यम से अधिसूचित कार्य की अद्यतन स्थिति को विद्यमान किया गया है। अधिकारी अभियन्ता सिवाई कण्ठ द्वितीय कुशीनगर को इस आदेश के पत्रांक 1400/प्रसुप/दिनांक 30.8.12 1511/प्रसुप/दिनांक 20.9.12 पत्रांक 818/प्रसुप/दिनांक 24.4.13 पत्रांक 1434/प्रसुप/दिनांक 7.5.13 पत्रांक 1333/प्रसुप/दिनांक 03.07.2013 एवं के माध्यम से जप्त अधिसूचित कार्य की प्रकृति को सम्बन्धित को निर्दिष्ट किया गया है। मुख्य अभियन्ता (सिवाई) सिवाई कण्ठ द्वितीय द्वारा जारी पत्रांक 3316/मु.अ.सी/दिनांक 02.05.2013 द्वारा सूचित किया गया है कि माठ उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जप्त प्रकृति को विच्छ दिनांक 29.4.2013 को अद्यतन आदेश पारित किया गया है।
9	तदीय श्री अरवि मोहन अधिकारी सिवाई कण्ठ हाथरस	वकी संख्या- एर 10 -2017/सी/11 दिनांक 01.02.11	25000.00	वच्छ प्रकृति	अधिकारी अभियन्ता सिवाई कण्ठ मधुसूदन द्वारा अपने कार्यालय डाक सं०-2547 /सिवाई/दिनांक 20.3.13के माध्यम से अधिसूचित धनराशि की कटौति सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता के तौर से कर ली गयी है एवं जप्त धनराशि को राजकोश में जमा कराकर प्रकृति को छायाप्रति प्राप्त एवं इस कार्यालय को अद्यतन करने हेतु इस कार्यालय को पत्र पत्रांक 1123/प्रसुप/दिनांक 7.6.13 पत्रांक 1347/प्रसुप/दिनांक 04.07.2013 पत्रांक 1566/प्रसुप/दिनांक 07.08.2013 एवं के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।
10	तदीय श्री श्रीधर अधिकारी अभियन्ता सिवाई कण्ठ कुशीनगर	वकी संख्या एर 4-2017 /सी/11 दिनांक 01.02.12	25000.00		अधिकारी अभियन्ता श्री श्रीधर कण्ठ द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक 1123 /प्रसुप/दिनांक 7.6.13 एवं पत्रांक 1347/प्रसुप/दिनांक 04.07. 2013 पत्रांक 1566/प्रसुप/दिनांक 07.08. 2013 पत्रांक 1562/प्रसुप/दिनांक 20.10. 14 एवं पत्रांक 1562/प्रसुप/दिनांक 20.10. 14 के माध्यम से अधिसूचित कार्य की अद्यतन स्थिति को विद्यमान किया गया है।

9	राज्य	डी आरडी कोरिडोर अभियंताजी सिमाई रोड खंड प्रथम बरियत	वेद संख्या- एस.4-489/ सी/11 दिनांक	28000.00	रफ्तार वसूल  (रसीद अपगत)	
10	राज्य	अधिकासी अभियंता सिमाई रोड प्रथम बरियत	वेद संख्या- एस.4-429/ सी/11 दिनांक	25000.00		
11	राज्य	अधिकासी अभियंता साहयके खण्ड-33 इलाहाबाद	वेद सं. एस-7/ 382/सी/10	25000.00	नाद पुनर्स्थापित	
12	राज्य	अधिकासी अभियंता साहयके खण्ड-33 इलाहाबाद	वेद सं. एस. 8/ 382/सी/10	25000.00		

प्राथमिक किया गया है। अधिकासी अभियंता  
 एस.4-489/सी/11 दिनांक 11.07.2013 के माध्यम से कार्यवाही हेतु मध्य राज्य  
 संचालन आयोग के समक्ष अर्पित की गयी है।  
 अधिकासी अभियंता सिमाई रोड प्रथम खण्ड  
 सिमाई रोड खंड प्रथम बरियत को इस अधिकासी  
 वेद सं. एस.4-489/सी/11 दिनांक 27.02.2013 पत्रांक  
 4119/प्रसुप/दिनांक 7.6.13 पत्रांक  
 1388/प्रसुप/दिनांक 03.07.2013 एस के माध्यम  
 से अधिकासी वेद सं. एस.4-489/सी/11 की  
 प्रमाणात्मक प्रति हेतु निर्दिष्ट किया गया है।  
 दिनांक 27.02.2013

अधिकासी अभियंता सिमाई रोड प्रथम बरियत  
 को इस अधिकासी वेद सं. एस.4-429/सी/11  
 दिनांक 27.02.2013 पत्रांक 4119/प्रसुप/दिनांक  
 7.6.13 पत्रांक 1388/प्रसुप/दिनांक 03.07.2013  
 एस के माध्यम से अधिकासी वेद सं. एस.4-429/सी/11  
 की प्रमाणात्मक प्रति हेतु निर्दिष्ट किया गया है।  
 दिनांक 27.02.2013

इस अधिकासी वेद सं. एस.7/382/सी/10  
 2013 पत्रांक 1782/प्रसुप/दिनांक 18.9.2013  
 2013 पत्रांक 1351/प्रसुप/दिनांक 20.10.13  
 एस पत्रांक 240/प्रसुप/दिनांक 11.3.15  
 के माध्यम से अधिकासी वेद सं. एस.7/382/सी/10  
 की प्रमाणात्मक प्रति हेतु निर्दिष्ट किया गया है।  
 अधिकासी वेद सं. एस.7/382/सी/10 के माध्यम से  
 अधिकासी वेद सं. एस.7/382/सी/10 की प्रमाणात्मक  
 प्रति हेतु निर्दिष्ट किया गया है। अधिकासी वेद सं.  
 एस.7/382/सी/10 के माध्यम से अधिकासी वेद सं.  
 एस.7/382/सी/10 की प्रमाणात्मक प्रति हेतु निर्दिष्ट  
 किया गया है। अधिकासी वेद सं. एस.7/382/सी/10  
 के माध्यम से अधिकासी वेद सं. एस.7/382/सी/10  
 की प्रमाणात्मक प्रति हेतु निर्दिष्ट किया गया है।  
 अधिकासी वेद सं. एस.7/382/सी/10 के माध्यम से  
 अधिकासी वेद सं. एस.7/382/सी/10 की प्रमाणात्मक  
 प्रति हेतु निर्दिष्ट किया गया है। अधिकासी वेद सं.  
 एस.7/382/सी/10 के माध्यम से अधिकासी वेद सं.  
 एस.7/382/सी/10 की प्रमाणात्मक प्रति हेतु निर्दिष्ट  
 किया गया है। अधिकासी वेद सं. एस.7/382/सी/10  
 के माध्यम से अधिकासी वेद सं. एस.7/382/सी/10  
 की प्रमाणात्मक प्रति हेतु निर्दिष्ट किया गया है।

	श्री सुधाकर श्रीमान् श्री सुधाकर श्रीमान् श्री सुधाकर श्रीमान् श्री सुधाकर श्रीमान् श्री सुधाकर	१९९७-१९९८ १९९८-१९९९	१९९७-१९९८ १९९८-१९९९
--	---	------------------------	------------------------

१९९७-१९९८  
 १९९८-१९९९  
 १९९९-२०००  
 २०००-२००१  
 २००१-२००२  
 २००२-२००३  
 २००३-२००४  
 २००४-२००५  
 २००५-२००६  
 २००६-२००७  
 २००७-२००८  
 २००८-२००९  
 २००९-२०१०  
 २०१०-२०११  
 २०११-२०१२  
 २०१२-२०१३  
 २०१३-२०१४  
 २०१४-२०१५  
 २०१५-२०१६  
 २०१६-२०१७  
 २०१७-२०१८  
 २०१८-२०१९  
 २०१९-२०२०  
 २०२०-२०२१

०५-१२-१८  
 अतिरिक्त प्रशासनाधिकारी  
 जन सूचना अधिकारी  
 ०५/१२/१९